

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2020—आश्विन 24, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्रमांक 108/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./03/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	सिंघनपुर प.ह.नं. 25	1.28	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	गौरटेक व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्रमांक 109/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./02/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	कुम्हारी प.ह.नं. 20	1.10	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	गौरटेक व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्रमांक 110/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./04/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	गौरटेक प.ह.नं. 24	4.28	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	गौरटेक व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग प.ह.नं. 40	4.693	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	सपनई बैराज के अंतर्गत लोईंग माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कवर्धा, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5494/06/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोडला	मुड़घुसरी जंगल प.ह.नं. 06	0.396	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग-राजनांदगांव.	मुड़घुसरी जंगल से छिंदीटोला मार्ग के हॉफ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोडला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2020

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
 - (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
 - (ग) नगर/ग्राम-विचारपुर
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/1	0.579
68/4	0.129
योग	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2020

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-मिरचे
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97/1	0.486
योग	01 0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2020

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-पोसवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.853 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81/7	0.234
81/8	0.097
138/9	0.360
138/8	0.162
योग	04 0.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक 21/चार/निरहिंत/2018-20/2084.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-लो.स/पूर्व अनु.-1/05/2018/1004, दिनांक 18-08-2020 के द्वारा लोकसभा साधारण निर्वाचन-2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री होरीलाल अनंत, जिला-

बिलासपुर जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहिंत घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 2020—27 श्रावण, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-लो.स./पूर्व अनु.-1/05/2019.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 05-बिलासपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून, 2019 के पत्र सं. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री होरीलाल अनंत, जो छत्तीसगढ़ के 05-बिलासपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री होरीलाल अनंत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री होरीलाल अनंत को निदेश दिया गया था कि वे इन नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री होरीलाल अनंत द्वारा 4 सितम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पत्र संख्या नि.प./लो.स.नि./व्यय लेखा/2019/4137 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 12 मार्च, 2019 के पत्र संख्या नि.प./लो.स.नि.-19/व्यय लेखा/2020/4640 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री होरीलाल अनंत ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री होरीलाल अनंत निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा.

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 05-बिलासपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री होरीलाल अनंत, निवासी ग्राम चकला, पोस्ट ऑफिस दाउकापा, लोरमी, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 18th August, 2020—27 Shravana, 1942 (Saka)

No. CG-HP/ES-I/05/2019.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 05-Bilaspur Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 dated 26th June, 2019, Shri Horilal Anant, Independent contesting candidate from 05-Bilaspur Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show Cause notice dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Horilal Anant for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 14th August, 2019, Shri Horilal Anant was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Horilal Anant on 4th September, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./लो.स.नि./व्यय लेखा/2019/4137 dated 25th September, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. नि.प./लो.स.नि.-19/व्यय लेखा/2020/4640 dated 12th March, 2020 has stated that Shri Horilal Anant, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Horilal Anant has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Horilal Anant, resident of Village Chakla, Post Office Daukapa, Lormi, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 from 05-Bilaspur Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA NATH BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-20/2086.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-वि.स/पूर्व अनु.-1/01/2018/999, दिनांक 18-08-2020 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कृष्णा कांत नागवंशी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 2020—27 श्रावण, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/01/2018.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 01-भरतपुर-सोनहत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्णा कांत नागवंशी, जो छत्तीसगढ़ के 01-भरतपुर-सोनहत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्णा कांत नागवंशी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 8 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्णा कांत नागवंशी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कृष्णा कांत नागवंशी द्वारा 23 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा अपने दिनांक 28 अगस्त, 2019 के पत्र संख्या 991/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिये आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा अपने दिनांक 12 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 1173/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्णा कांत नागवंशी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्णा कांत नागवंशी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा.

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 01-भरतपुर-सोनहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी श्री कृष्ण कांत नागवंशी, निवासी बीसीम कॉलरी, खोंगापानी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 18th August, 2020—27 Shravana, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-1/01/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 01-Bharatpur-Sonhat Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 7th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Korea District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 dated 29th January, 2019, Shri Krishna Kant Nagvanshi, Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party contesting candidate from 01-Bharatpur-Sonhat Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Korea District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause notice dated 8th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Krishna Kant Nagvanshi for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 8th August 2019, Shri Krishna Kant Nagvanshi was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Krishna Kant Nagvanshi on 8th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Korea vide his letter No. 991/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 dated 28th August, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Korea vide his letter No. 1173/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2020 dated 12th March, 2020 has stated that Shri Krishna Kant Nagvanshi, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Krishna Kant Nagvanshi has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of Election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Krishna Kant Nagvanshi, resident of B Seem Colony, Khongapani, Tahsil-Manendragarh, District-Korea, Chhattisgarh and the contesting Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 01-Bharatpur-Sonhat Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA NATH BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्रमांक 21/चार/निरहिंत/2018-20/2150.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-लो.स/पूर्व अनु.-1/08/2019/206, दिनांक 03-09-2020 के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री इकराम सैफी, जिला-रायपुर, जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहिंत घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 2020—12 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-लो.स/पूर्व अनु.-1/08/2019.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 08-रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून, 2019 के पत्र सं. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 22 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री इकराम सैफी, जो छत्तीसगढ़ के 08-रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आमबेडकराईट पार्टी ऑफ इन्डिया अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री इकराम सैफी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री इकराम सैफी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री इकराम सैफी द्वारा 27 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 31 अगस्त, 2019 के पत्र संख्या 2806/निर्वा./नि.प./2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 9 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 7396/निर्वा./नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री इकराम सैफी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री इकराम सैफी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 08-रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले आमबेडकराईट पार्टी ऑफ इन्डिया अभ्यर्थी श्री इकराम सैफी, निवासी नुरानी चौक, रेल्वे क्रासिंग के पास, राजातालाब रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 3rd September, 2020—12 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-HP/ES-I/08/2019.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 08-Raipur Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 22nd June, 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 dated 26th June, 2019, Shri Ikram Saifi, Ambedkarite Party of India contesting candidate from 08-Raipur Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show Cause notice dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Ikram Saifi for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 14th August 2019, Shri Ikram saifi was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days form the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Ikram Saifi on 27th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 2806/निर्वा./नि.प./2019 dated 31st August, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter No. 7396/निर्वा./नि.प./2020 dated 9th March, 2020 has stated that Shri Ikram Saifi, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Ikram Saifi has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission in satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ikram Saifi, resident of Nurani Chowk, Near Railway Crossing Rajatalab, Raipur District, Chhattisgarh and the contesting Ambedkarite Party of India candidate for General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 from 08-Raipur Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA NATH BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-20/2154.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-लो.स/पूर्व अनु.-1/11/2019/201, दिनांक 03-09-2020 के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री उमाशंकर भण्डारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 2020—12 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-लो.स./पूर्व अनु.-1/11/2019.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 11-कांकेर (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून, 2019 के पत्र सं. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री उमाशंकर भण्डारी, जो छत्तीसगढ़ के 11-कांकेर (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उमाशंकर भण्डारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उमाशंकर भण्डारी को निदेश दिया गया था कि वे इन नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अन्दर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री उमाशंकर भण्डारी द्वारा 31 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 31 जनवरी, 2020 के पत्र संख्या सा./निर्वा./लो.स.नि./व्यय/2019/73 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 13 मार्च, 2020 के पत्र संख्या सा./निर्वा./लोसनि-2019/2020/150 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उमाशंकर भण्डारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमाशंकर भण्डारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबोधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 11-कांकेर (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी श्री उमाशंकर भण्डारी, निवासी ग्राम-गढ़पिछवाडी, तहसील-कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 3rd September, 2020—12 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-HP/ES-I/11/2019.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 11- Kanker (ST) Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, North Bastar Kanker District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 dated 26th June, 2019, Shri Umashankar Bhandari, Shiv Sena contesting candidate from 11-Kanker (ST) Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, North Bastar Kanker District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause notice dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Umashankar Bhandadi for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 14th August 2019, Shri Umashankar Bhandari was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Umashankar Bhandari on 31st August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, North Bastar Kanker vide this letter No. सा./निर्वा./लो.स.नि. व्यय/2019/73 dated 31st January 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, North Bastar Kanker vide his letter No. सा./निर्वा./लोसनि-2019/2020/150 dated 13th March, 2020 has stated that Shri Umashankar Bhandari, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Umashankar Bhandari has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Umashankar Bhandari, resident of Village-Gadhpichhvadi, Tehsil-Kanker, District-Uttar Bastar Kanker, Chhattisgarh and the contesting candidate of Shiv Sena for General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 from 11-Kanker (ST) Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-20/2158.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-लो.स./पूर्व अनु.-1/07/2019/211, दिनांक 03-09-2020 के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनूप कुमार पाण्डेय, जिला-दुर्ग जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 2020—12 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-लो.स./पूर्व अनु.-1/07/2019.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 07-दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून, 2019 के पत्र सं. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनूप कुमार पाण्डेय, जो छत्तीसगढ़ के 07-दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनूप कुमार पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनूप कुमार पाण्डेय को निदेश दिया गया था कि वे इन नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा 30 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग द्वारा अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के पत्र संख्या 3443/नि.प./2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग द्वारा अपने दिनांक 6 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 280/नि.प./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनूप कुमार पाण्डेय ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनूप कुमार पाण्डेय निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 07-दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अनूप कुमार पाण्डेय, निवासी 41, आर्य नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 3rd September, 2020—12 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-HP/ES-I/07/2019.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 07-Durg Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 21st June, 2019 submitted by the District Election Officer, Durg District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 dated 26th June, 2019, Shri Anoop Kumar Pandey, Independent contesting candidate from 07-Durg Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Durg District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause notice dated 19th August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Anoop Kumar Pandey for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 19th August 2019, Shri Anoop Kumar Pandey was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Anoop Kumar Pandey on 30th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Durg vide his letter No. 3443/नि.प./2019 dated 27th September, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Durg vide his letter No. 280/नि.प./2020 dated 6th March, 2020 has stated that Shri Anoop Kumar Pandey, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Anoop Kumar Pandey has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Anoop Kumar Pandey, resident of 41, Arya Nagar, Durg, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 from 07-Durg Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2020

क्रमांक 21/चार/निरहिंत/2018-20/2490.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-वि.स/पूर्व अनु.-1/19/2018/40, दिनांक 14-09-2020 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री संतराम राठिया, जिला-रायगढ़, जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहिंत घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2020—23 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/19/2018.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संत राम राठिया, जो छत्तीसगढ़ के 19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संत राम राठिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संत राम राठिया को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री संत राम राठिया द्वारा 7 सितम्बर, 2019 को प्राप्त किया गया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के पत्र संख्या 5791/निर्वा. पर्य./2019 के जरिये आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र संख्या 189/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संत राम राठिया ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संत राम राठिया निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा.”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) के अभ्यर्थी श्री संत राम राठिया, निवासी ग्राम-कमरई, पो.-सुपकालो, तहसील-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496665, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 14th September, 2020—23 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-1/19/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 19-Dharamjaigarh (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such, the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 dated 29th January, 2019, Shri Sant Ram Rathiya, Janta Congress Chhattisgarh (J) contesting candidate from 19-Dharamjaigarh (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show Cause notice dated 28th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Sant Ram Rathiya for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 28th August 2019, Shri Sant Ram Rathiya was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Sant Ram Rathiya on 7th September, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raigarh vide his letter No. 5791/निर्वा.पर्य./2019 dated 12th September, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raigarh vide his letter No. 189/निर्वा.पर्य./2020 dated 14th July, 2020 has stated that Shri Sant Ram Rathiya, has not submitted any representation or his account of election expenses, till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Sant Ram Rathiya has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure. The Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Sant Ram Rathiya, resident of Village-Kamrai, PO-Supkalo, Tehsil-Dharamjaigarh, District-Raigarh, Chhattisgarh-496665 and the contesting candidate of Janta Congress Chhattisgarh (J) for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 19-Dharamjaigarh (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2020

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-20/2492-A.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/15/2018/45, दिनांक 14-09-2020 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार कुजूर, जिला-रायगढ़, जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2020—23 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/15/2018.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 15-लैलूंगा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेश कुमार कुजूर, जो छत्तीसगढ़ के 15-लैलूंगा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचनों अधिकारी, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुरेश कुमार कुजूर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुरेश कुमार कुजूर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुरेश कुमार कुजूर के भाई द्वारा 4 सितम्बर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 5 सितम्बर, 2019 के पत्र संख्या 5777/निर्वा. पर्य./2019 के जरिये आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र संख्या 189/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुरेश कुमार कुजूर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेश कुमार कुजूर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा.”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 15-लैलूंगा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार कुजूर, निवासी ग्राम व पो. -घटगांव, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496113, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 14th September, 2020—23 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-1/15/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 15-Lailunga (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 dated 29th January, 2019, Shri Suresh Kumar Kujur, Independent contesting candidate from 15-Lailunga (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show Cause notice dated 23rd August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Suresh Kumar Kujur for non-submission of Election expenses ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 23rd August 2019, Shri Suresh Kumar Kujur was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by brother of Shri Suresh Kumar Kujur on 4th September, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raigarh vide his letter No. 5777/निर्वा.पर्य./2019 dated 5th September, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raigarh vide his letter No. 189/निर्वा.पर्य./2020 dated 14th July, 2020 has stated that Shri Suresh Kumar Kujur, has not submitted any representation or his account of election expenses, till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Suresh Kumar Kujur has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure. The Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Suresh Kumar Kujur, resident of Village+Post-Ghatgaon, Tahsil-Lailunga, District-Raigarh, Chhattisgarh-496113 and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 15-Lailunga (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2020

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-20/2494.— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-वि.स/पूर्व अनु.-1/69/2018/50, दिनांक 14-09-2020 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सैयद फारूक अली, जिला-बेमेतरा, जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2020—23 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/69/2018.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 69-बेमेतरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सैयद फारूक अली, जो छत्तीसगढ़ के 69-बेमेतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सैयद फारूक अली को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 मार्च, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सैयद फारूक अली को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा विधि द्वारा आपेक्षित रीति से दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सैयद फारूक अली के भाई द्वारा 16 अप्रैल, 2020 को प्राप्त किया गया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा द्वारा अपने दिनांक 19 मई, 2020 के पत्र संख्या 499/विस.नि./व्यय लेखा/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2020 के पत्र संख्या 2738/वि.स.नि./व्यय लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सैयद फारूक अली ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सैयद फारूक अली निर्वाचन खर्चों का लेखा विधि द्वारा आपेक्षित नीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 69-बेमेतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी श्री सैयद फारूक अली, निवासी मकान नं.-43, सदर एवं महामाया रोड, बेमेतरा, थाना, तहसील व जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 14th September, 2020—23 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-1/69/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 69-Bemetara Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such, the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bemetara District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 dated 29th January, 2019, Shri Saiyad Faruque Ali, Aam Aadmi Party contesting candidate from 69-Bemetara Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bemetara District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show Cause notice dated 19th March, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Saiyad Faruque Ali for non-submission of Election expenses in the manner as required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 19th March, 2020, Shri Saiyad Faruque Ali was directed to submit his representation in writing in the Commission and to rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by brother of Shri Saiyad Faruque Ali on 16th April, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bemetara vide his letter No. 499/विस.नि./व्यय लेखा/2020 dated 19th May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bemetara vide his letter No. 2738/वि.स.नि./व्यय लेखा/2020 dated 10th August, 2020 has stated that Shri Saiyad Faruque Ali has not submitted any representation till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure of election expenses as required by law even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Saiyad Faruque Ali has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by law and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission in satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure. The Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Saiyad Faruque Ali, resident of House No. 43, Sadar & Mahamaya Road Bemetara, Thana, Tehsil & District-Bemetara, Chhattisgarh and the contesting candidate of Aam Aadmi Party for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 69-Bemetara Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2020

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-20/2496-A.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र क्र. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/69/2018/50, दिनांक 14-09-2020 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सोहन लाल निषाद, जिला-बेमेतरा, जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2020—23 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/69/2018.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 69-बेमेतरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सोहन लाल निषाद, जो छत्तीसगढ़ के 69-बेमेतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सोहन लाल निषाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 मार्च, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सोहन लाल निषाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा विधि द्वारा आपेक्षित रीति से दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सोहन लाल निषाद द्वारा 16 अप्रैल, 2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा द्वारा अपने दिनांक 19 मई, 2020 के पत्र संख्या 499/विस.नि./व्यय लेखा/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेमेतरा द्वारा अपने दिनांक 10 अगस्त, 2020 के पत्र संख्या 2738/विस.नि./व्यय लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सोहन लाल निषाद ने आज की तारीख तक कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सोहन लाल निषाद निर्वाचन खर्चों का लेखा विधि द्वारा आपेक्षित रीति से दाखिल करने विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबोधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा.”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 69-बेमेतरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के अभ्यर्थी श्री सोहन लाल निषाद, निवासी बी.टी.आई. कॉलोनी, रानी लक्ष्मी बाई, वार्ड 10, तहसील व जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 14th September, 2020—23 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-1/69/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 69-Bemetara Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such, the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bemetara District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 dated 29th January, 2019, Shri Sohan Lal Nishad Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal contesting candidate from 69-Bemetara Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bemetara District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh a Show Cause notice dated 19th March, 2020 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Sohan Lal Nishad for non-submission of Election expenses in the manner as required by law ;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 19th March, 2020, Shri Sohan Lal Nishad was directed to submit his representation in writing in the Commission and to explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Sohan Lal Nishad on 16th April, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bemetara vide his letter No. 499/विस.नि./व्यय लेखा/2020 dated 19th May, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bemetara vide his letter No. 2738/वि.स.नि./व्यय लेखा/2020 dated 10th August, 2020 has stated that Shri Sohan Lal Nishad has not submitted any representation till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure of election expenses as required by law even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Sohan Lal Nishad has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by law and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure The Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the people Act 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Sohan Lal Nishad, resident of B.T.I. Colony, Rani Laxmi Bai, ward 10, Tehsil & District Bemetara Chhattisgarh and the contesting candidate of Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 69-Bemetara Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.